

क्र. 02/2019

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 07.03.2019

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ़ (ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

अलादिता पुत्र बलीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 1 सी.एच.एम तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम

अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ़(ए) ने दिनांक 19.02.2019 को रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी अलादिता पुत्र बलीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 1 सी.एच.एम तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने चक 1 सी.एच.एम के मु.न. 164/03 के कि.न. 2/2 =0.10, 3/2=0.10, = 1.00 बीघा, मु0न0 164/2 के कि0न0 24 =0.10 बीघा मु0न0 164/11 के कि0न0 21 =1.00, कुल तादादी 2.10 बीघा कमाण्ड /अ0क0 गैरमुमकिन मण्डी की भूमि पर कृषि सम्वत् 2075 फसल रबी में अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल कास्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को दिनांक 07.03.2019 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी के पुत्र मुनसब अली द्वारा तामिल किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 07.03.2019 को पेशी में ली गई, अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। पटवारी हल्का छतरगढ़ (ए) ने उपस्थित होकर अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि की एवं फर्द कुर्की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 144/-अक्षरे एक सौ चौवालीस रुपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। भू.अ.निरीक्षक छतरगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/ कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र कुमार जोखड़)
तहसीलदार(राजस्व)
हल्का छतरगढ़ (बीकानेर)
छतरगढ़ (बीकानेर)